भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 3569

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

मणिपुर के लिए विशेष वित्तीय पैकेज

3569. प्रोफ. अंगोमचा बिमोल अकोइजमः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा मणिपुर राज्य में लम्बे समय से चल रहे मानवीय और आर्थिक संकट को देखते हुए कोई विशेष वित्तीय पैकेज तैयार किया गया है या तैयार किए जाने का विचार है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वीकृत की गई धनराशि कितनी है, पैकेज के घटक क्या हैं और इसे लागू करने की समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास, आजीविका की बहाली, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना के पुनर्निर्माण और राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं संबंधी कोई आकलन किया है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत व्यय/निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत वर्ष 2025-26 के दौरान मणिपुर राज्य को 105 परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है, जिसमें से 310.66 करोड़ रुपये की राशि राज्य को पहली किस्त के रूप में जारी कर दी गयी है। हालांकि, अतिरिक्त आवंटन की दूसरी किस्त जारी करने के लिए मणिपुर राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इस योजना को कुल 2 लाख करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन के साथ चालू वित्तीय वर्ष में भी जारी रखा गया है। वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत एक विशेष विंडो, नामतः पार्ट-X: "प्राइड ऑफ हिल्स" शुरू किया गया है, जिसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में पहाड़ी राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ₹25,000 करोड़ की राशि आवंटित कर दी गयी है। पूंजीगत

व्यय के अलावा, इस घटक के तहत धन का उपयोग आवश्यक राजस्व व्यय के लिए भी किया जा सकता है। तदनुसार, इस घटक के तहत मणिपुर के लिए ₹2400 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। यह राशि एसएएससीआई 2026-27 के शर्तरहित भाग (भाग-1) और अन्य भागों के तहत राज्य को उपलब्ध करायी गयी निधियों के अतिरिक्त है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक एसएएससीआई के तहत मणिपुर राज्य को जारी की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**जारी की गई राशि**
2020-21	317.16
2021-22	212.85
2022-23	467.22
2023-24	542.70
2024-25	1436.82
2025-26	871.55*
2026-27 (05.08.2026 तक)	21.44
कुल	**3869.74**

**इस राशि में एसएएससीआई 2025-26 के तहत अतिरिक्त आवंटन की पहली किस्त के रूप में राज्य को जारी की गई 310.66 करोड़ रुपये शामिल हैं।*

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान, केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में मणिपुर सरकार सहित राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी प्रदान कर रही है।

राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में वित्तीय आवश्यकताओं सहित राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाता है। आयोग केंद्रीय करों एवं शुल्कों और राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के अंतरण की मात्रा तथा अंतरण में राज्यों के बीच आपसी हिस्सेदारी की भी अनुशंसा करता है। वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर, केंद्र सरकार ने राज्यों को कर अंतरण को 13वें वित्त आयोग की अवधि में 32% से बढ़ाकर 14वें वित्त आयोग की अवधि में 42% कर दिया। 15वें वित्त आयोग ने जम्मू और कश्मीर के लिए 1% समायोजन के बाद अंतरण का स्तर भी समान बनाए रखा है। इसके अलावा, 16वें वित्त आयोग ने भी, 15वें वित्त आयोग के समान स्तर को प्रभावी रूप से बनाए रखते हुए 41% अंतरण को जारी रखा है।
